

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/161/2025

दायर दिनांक:-10.11.2025

रजि0 न0 2025/384

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री योगेश पुत्र श्री मदन लाल, नि0 601, रटार
गेलेक्सी रेजीडेन्स, मधुवन बैंक कॉलोनी, नियर
डाक बंगला, अलवर (राज0) 301001

लोक सूचना अधिकारी एवं रायिव नगर
धिकारा न्यारा, अलवर (राजरथान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 08.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.05.2025 के परिपेक्ष्य में चाही गई सूचना से अरांतुष्ट होने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.11.2025 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/10193 दिनांक 21.11.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन पत्रांक 199/2025 दिनांक 23.05.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति की बैठक के निर्णयानुसार जारी भवन निर्माण स्वीकृति बाबत खसरा नं0 225 ग्राम नंगलीकोता तह0 व जिला अलवर के दस्तावेजों का रिकॉर्ड प्रतिलिपियों के संबंध में सूचना चाही गई थी। उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा न्यास पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 04.06.2025 एवं पत्रांक 5830 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है ।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/ 2025/10193 दिनांक 21.11.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर गिरतारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 08.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर